जो उसे 1993-94 के गरीबी अनुपात के आधार पर प्राप्त हो गया होता।

(ग) जी। नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विद्युत परियोजनाओं के लिए उपकरण आपूर्ति में विलम्ब

*29. **श्री ईश दत्त यादव:**
चौधरी हरमोहन सिंह यादव:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा उपकरण आपूर्ति में विलम्ब करने के कारण कई विद्युत परियोजनाओं में विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन परियोजनाओं में विलम्ब हुआ है या विलम्ब हो रहा है; और

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में आपूर्तिकर्त्ताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है, यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की गई है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम): (क) से (ग) उपस्कर की विलम्ब से आपूर्ति से सामान्यतः परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब होता है। तथापि, उपस्कर की आपूर्ति में विलम्ब का एकमात्र जिम्मेवार आपूर्तिकर्त्ताओं को ही नहीं ठहराया जा सकता है। सरकार सभी परियोजनाओं की गहन रूप से मानीटरिंग कर रही है तथा उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई कर रही है जिसमें निर्माताओं के साथ सम्पर्क करना तथा अन्य अवरोधों को दूर करना शामिल है। नौवीं योजना की जो परियोजनाएं उपस्कर की देर से आपूर्ति करने के कारण विलम्बित हुई हैं/हो रही हैं, वे निम्नलिखित हैं:—

(i) संजय गांधी विस्तार टीपीपी (2 × 210 मे०वा०)

(ii) बज-बज टीपीएस (2 × 250 मे०वा०)

(iii) मेजिया टीपीएस (3 × 210 मे०वा०)

(iv) ब्रह्मपूरम डीजी सैट (5 × 20 मे०वा०)

(v) कथालगुड़ी सीसीजीटी (2 × 33.5 मे०वा० + 3 × 30 मे०वा०)

टिहरी बांध को पूरा किया जाना

*31. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने टिहरी बांध को पूरा करने के लिए वर्ष 2002 तक की समय सीमा तय की है;

(ख) क्या यह सच है कि इस कार्य के लिए 25 प्रतिशत राशि का अंशदान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाना था, यदि हां, तो क्या वह अपना वार्षिक अंशदान कर रही है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार से अंशदान प्राप्त किए बिना भी केन्द्र सरकार ने इसे पूरा करने के लिए अपेक्षित धनराशि जुटाने का प्रबंध कर लिया है; और

(घ) दिसम्बर, 1998 तक इस बांध पर कुल कितनी राशि खर्च हुई है और आगामी तीन वर्षों में अन्तिम रूप से कुल कितनी राशि खर्च होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम): (क) से (घ) टिहरी जल विद्युत परियोजना चरण-1 को वर्ष 2002 तक पूरे किए जाने का कार्यक्रम है।

परियोजना को इस तरह से डिजाईन किया गया है कि वह सिंचाई के साथ-साथ विद्युत लाभ भी प्रदान करेगी। सिंचाई घटक की लागत पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। तथापि, विद्युत घटक के बारे में, लागत की भागीदारी भारत सरकार और उ०प्र० सरकार द्वारा 75 : 25 के अनुपात में की जा रही है। कुल मिलाकर लागत की भागीदारी भारत सरकार और उ०प्र० सरकार के मध्य 60 : 40 के अनुपात में की जा रही है। 31.12.1998 की स्थिति के अनुसार 718.66 करोड़ रुपये की देय राशि की तुलना में उ०प्र० सरकार ने 372.69 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं।

उ०प्र० सरकार द्वारा निधियों को निर्मुक्त न किए जाने की समस्या का समाधान करने के लिए विभिन्न स्तरों पर बैठकें आयोजित की गई हैं। उ०प्र० सरकार सिंचाई घटक के लिए अपनी वित्त पोषण की देयताओं की पूर्ति करने के लिए "त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम" के अंतर्गत आंशिक वित्त पोषण सहायता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने के लिए मिलकर प्रयास करेंगे ताकि विद्युत घटक के संबंध